न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3546)

UPHP120026002026

Warrant or Summons Criminal Case/1320/2026

परिवाद सं०–3757/2026

शमशाद अहमद बनाम इरफान अहमद

थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–09.07.2026

पत्रावली आज अदालत में पेश हुई। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि "उपरोक्त वाद परिवादी ने विपक्षी के विरूद्ध चैक डिसआनर होने के बाबत माननीय न्यायालय में योजित किया है तथा उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय में वर्तमान में विचाराधीन है। अब परिवादी व विपक्षी का समाज के मौजिज व्यक्तियों द्वारा आपस में समझौता करा दिया गया है। उपरोक्त वाद के परिवादी ने चैक में वर्णित धनराशि प्राप्त कर ली। अब परिवादी व विपक्षी के मध्य कोई वाद–विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वाद को समाप्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा परिवादी अपना वाद वापस लेना चाहता है।'' अतः उक्त परिवाद को समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी शमशाद अहमद द्वारा विपक्षी इरफान अहमद के विरूद्ध अं०धारा– 138 एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत वाद योजित किया गया है। पत्रावली सुनवाई हेतु नियत है। परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र दाखिल कर कथन किया गया है कि उक्त परिवाद संख्या में परिवादी का विपक्षी से समझौता हो गया है। परिवादी अब उक्त परिवाद संख्या को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में प्रस्तुत परिवाद धारा **280 बी.एन.एस.एस.** के अन्तर्गत परिवादी को वापस किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत परिवाद नियमानुसार अंतर्गत **धारा 280 बी.एन.एस.एस.** परिवादी को वापस किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम.,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:12:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court